आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Women and Child Development Department, Government of Maharashtra

Shakti Sadan Scheme

महाराष्ट्र में शक्ति सदन मुसीबत में पड़ी महिलाओं को अस्थायी आश्रय देते हैं, जैसे विधवाएँ, बेघर महिलाएँ और हिंसा या तस्करी से बची महिलाएँ।

क्या मिल सकता है

शक्ति सदन में अधिकतम तीन साल तक रहने की जगह। 55 साल से ऊपर की महिलाएँ पाँच साल तक रह सकती हैं, फिर वृद्धाश्रम भेजी जाती हैं। पीड़िताओं को ज़िला अधिकारियों की अनुमति से और ज़्यादा समय रहने दिया जा सकता है।

किसके लिए है

आश्रित या वंचित महिलाएँ, जिनमें विधवाएँ, बेघर और बिना पारिवारिक सहारे की महिलाएँ, घरेलू हिंसा झेलने वाली महिलाएँ तथा तस्करी या यौन शोषण से बचाई गई महिलाएँ और लड़कियाँ शामिल हैं।

मुख्य शर्तें

- महिला आश्रित या वंचित हो, जैसे विधवा, बेघर या बिना पारिवारिक सहारे वाली।
- घरेलू हिंसा झेलने वाली या तस्करी व यौन शोषण से बचाई गई महिलाएँ भी इसमें आती हैं।
- 12 साल तक की लड़कियों को महिला के साथ प्रवेश दिया जा सकता है।
- रहने की अवधि तीन साल है, और 55 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए पाँच साल।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://womenchild.maharashtra.gov.in/en/schemes/shakti-sadan-scheme
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mh-shakti-sadan/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।